

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या :86/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी राकेश शर्मा
-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स अंकित फार्मा जरिये प्रो. अंकित कुमार शर्मा, बी-10, लक्ष्मी बाजार, स्टेशन रोड़, सीकर, राज. 332001
2. अंकित कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा, भाण्डिया बास, वार्ड नम्बर 19, चांदपोल गेट, सीकर, राज. 332001
3. अशोक कुमार शर्मा पुत्र शिव प्रसाद शर्मा, धोद रोड़, भाण्डिया बास, वार्ड नम्बर 19, चांदपोल गेट, सीकर, राज. 332001

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)


The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 03 जून, 2025




1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विनोद खाण्डल द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः मैसर्स अंकित फार्मा जरिये प्रो. अंकित कुमार शर्मा, अंकित कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा एवं अशोक कुमार शर्मा पुत्र शिव प्रसाद शर्मा की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अंकित कुमार शर्मा के स्वामित्व की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर सी-202 (बिना छत अधिकार), द्वितीय तल, मारु मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 34 (पुराना), 33 (नया), स्टेशन रोड़ के अन्दर, सीकर, राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 19.26 वर्गगज (173.37 वर्ग फीट) है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में अन्य सम्पत्ति,


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पश्चिम दिशा में कॉरिडोर 9 फीट चौड़ी, उत्तर दिशा में दुकान नम्बर सी-201 एवं दक्षिण दिशा में दुकान नम्बर सी-203 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ₹10,00,000/- रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख) एवं ऋण नवीनीकरण ₹7,00,000/- रूपये (अक्षरे रूपये सात लाख) कुल ₹17,00,000/- रूपये (अक्षरे रूपये सत्रह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **27.12.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से वकील श्री सुमित शर्मा उपस्थित आये परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **27.12.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **मैसर्स अंकित फार्मा, अंकित कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा एवं अशोक कुमार शर्मा पुत्र शिव प्रसाद शर्मा** की ओर से




(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अंकित कुमार शर्मा** के स्वामित्व की अचल व्यवसायिक सम्पत्ति **दुकान नम्बर सी-202 (बिना छत अधिकार), द्वितीय तल, मारू मन्दिर के पीछे, वार्ड नम्बर 34 (पुराना), 33 (नया), स्टेशन रोड़ के अन्दर, सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 19.26 वर्गगज (173.37 वर्ग फीट)** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम दिशा में कॉरिडोर 9 फीट चौड़ी, उत्तर दिशा में दुकान नम्बर सी-201 एवं दक्षिण दिशा में दुकान नम्बर सी-203 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **03 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मकल शर्मा)
(मकल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर